न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– कमला अलारिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 65 (ए)/2021 दायर दिनांक 20.10.2021

बलवन्त सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 11 के डी ए तहसील रावला

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू.अ. रावला

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री तिलक राज चुघ
2. पैरोकार राज

:: निर्णय ::

दिनांक: 13.04.2022

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 11 केडीए का मुरब्बा न. 112/17 का 3.934 है0 कमाण्ड व मुरब्बा न. 112/41 में 1.417 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड व मुरब्बा न. 112/33 में 6.135 है0 कमाण्ड कुल 11.486 है0 भूमि अपीलांट के पिता गुरनाम सिंह पुत्र ईशरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज थी। अपीलांट के पिता गुरनाम सिंह का देहान्त दिनांक 30.6.2002 को हो गया। गुरनाम सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में ही बरूए वसययीत मुस्दका एसआर पदमपुर दिनांक 17.9.1996 व एसआर घडसाना दिनांक 07.07.1997 उक्त समस्त आराजी अपने पुत्र यानि अपीलांट के हक में कर दी थी अपीलांट के पिता गुरनामसिंह के देहान्त उपरांत वसीयत की रूह से उक्त समस्त भूमि अपीलांट के पिता गुरनाम सिंह के देहान्त उपरांत वसीयत की रूह से उक्त समस्त भूमि अपीलांट के अधिपत्य एवं स्वामित्व में निहित हुई। जिस पर अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय तहसीलदार(भू.अ.) घडसाना के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर वसीयत प्रकरण संख्या 08/2003 दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रार्थना पत्र बाबत इंतकाल पर ली गई रिपोर्ट पटवारी हल्का में कब्जा काश्त अपीलांट का होना रिपोर्ट हुआ है व सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रण सूचना स्थानीय समाचार पत्रिका में प्रकाशन करवायी गई, जिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात तहसील (भू.अ.) घडसाना द्वारा अपना निर्णय दिनांक 08.4.2003 को पारित करते हुए अपीलांट का वसीयत इंतकाल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पटवारी हल्का को उपरोक्तानुसार नामांतरण दर्ज करने के आदेश दिये गये। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा निर्णय दिनांक 08.4.2003 की पालना में अपीलांट के नाम इंतकाल संख्या 54 दर्ज कर वास्ते स्वीकृति अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार (भू.अ.) के समक्ष पेश किया। जिस पर नायब तहसीलदार घडसाना द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश दिनांक 24.01.2004 में इस पृष्ठांकन के साथ कि –" भूमि का राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में वाद जैरकार है के आधार पर इंतकाल खारिज किया गया" जिससे व्यथीत होकर अपीलांट की ओर से यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री तिलक राज चुघ उपस्थित हुए। पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार घडसाना द्वारा अपील में वर्णित कृषि भूमि के संबंध में वसीयत प्रकरण संख्या 08/2003 दर्ज किया गया जिसका निर्णय दिनांक 08.4.2003 को किया गया। उक्त निर्णय में वसीयत के आधार पर अपीलांट के नाम से नामांतरण स्वीकृत किये जाने के आदेश पटवारी हल्का को दिये गये। उक्त आदेश आज दिनांक तक प्रभावी है उक्त आदेश को आज दिन तक कोई चुनौती नहीं दी गई जिससे उक्त आदेश अन्तिम हो चुका है, यह प्रतीत होता हो। इस संबंध में रेस्पोडेंट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि उक्त आदेश को किसी अपीलीय न्यायालय मे चुनौती दी गई हो। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त भूमि के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में धारा 15 एएए क तहत प्रकरण जैरकार है। उक्त इंतकाल सही खारिज किया गया है। अतः निर्णय यथावत रखते हुए प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अपील में वर्णित कृषि भूमि के संदर्भ में 15 एएए का प्रकरण जैरकार होना बताया गया जिस संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत निर्णयों का अवलोकन किया गया जिसमें 43.04 बीघा कृषि भूमि वैध मानी है शेष कृषि भूमि बाबत आदेश आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा उसके पिता के नाम से हुए बैयनामा की चित्रप्रतियां भी पेश की है। पंजीकृत बैयनामा में भी 11.486 है0 कृषि भूमि है जो अपीलांट के पिता स्व. गुरनाम सिंह के नाम दर्ज है, जिसका भी गहनता से अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपनी बहस के दौरान ही अपीलंट का सहमति पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमे यह अभिकथित किया कि उक्त कृषि भूमि के संबंध में रिकार्ड परिवर्तन का स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय का प्रभाव में नहीं है एवं उक्त कृषि भूमि के संबंध में अगर कोई भी आदेश पारित होता है तो उस आदेश से अपीलांट बाध्य रहेगा। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह भी बताया कि इंतकाल एक फिजिकल प्रविष्ठि है जिसमें किसी प्रकार के अधिकार निहित नहीं है। गिरदावर द्वारा जो रिपोर्ट आलौच्य इंतकाल पर पृष्ठांकित की गई है वह भू राजस्व अधिनियम के विपरीत की गई है, क्योंकि तहसीलदार भू.अ. घडसाना द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.4.2003 के प्रकाश में समस्त तथ्यों की जांच कर इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिये गये थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–राजस्व अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर व अपीलांट को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये एकपक्षीय आलौच्य आदेश पारित किया है। अपीलाधीन भूमि के संबंध में विभिन्न कार्यवाहिंया विचाराधीन थी व अपीलांट विभिन्न कार्यवाहियों मे लिप्त रहा तथा अपील प्रस्तुत करने से अरसा 20 दिन पूर्व अपीलांट ने पटवारी से सम्पर्क कर इंतकाल की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तो अपीलांट को अपीलांट को अलौच्य आदेश की जानकारी हुई जिस पर अपील बिना किसी देरी के अपील इल्म में अन्दर मियाद पेश की जा रही है। जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुसरण में अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

मैनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर भी हमने गौर किया। संबंधित विधि का परीशीलन/मनन किया। विचारणीय तथ्य यह है कि राजस्व रिकार्ड में नामांतकरण की प्रविष्ठि एक मात्र एक फिजिकल प्रकिया है जिससे किसी के अधिकार उत्पन्न नहीं होते मात्र रिकार्ड को संधारित करने क उद्वेश्य से उक्त प्रविष्ठि अंकित होती है। इस प्रकरण से संबंधित समस्त पत्रावली का अवलोकन करने यह स्पष्ट जाहिर होता है कि वर्तमान प्रविष्ठि स्व. गुरनाम सिंह के नाम से प्रभाव में है एवं गुरनाम सिंह के स्थान पर अपीलांट का नाम दर्ज करना है ऐसी स्थिति में दिनांक 24.01.2004 का आदेश आपस्त किये जाने योग्य है। चूंकि अपीलांट द्वारा यह सहमति भी लिखित में पेश की है कि उक्त कृषि भूमि के संबंध में किसी भी माननीय न्यायालय के आदेश से वह पूर्णतया बाध्य रहेगा। उक्त सहमति पत्र को अंगीकृत करते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एक तरफा तौर पर आक्षेपित आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वात के विपरीत है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार (भू.अ.) घडसाना का आदेश दिनांक 24.01.2004 अपास्त किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार (भू.अ.) रावला को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वसीयत प्रकरण संख्या 08/2003 में पारित निर्णय दिनांक 08.4.2003 के अनुसरण में अपीलाधीन कृषि भूमि का इंतकाल अपीलांट के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमलू बलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)